न्यायालयः— जिला न्यायाधीश, बाड़मेर, जिला—बाड़मेर

पीठासीन अधिकारीः— अजिताभ आचार्य, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सिविल अपील डिक्री प्रकरण संख्या— 04 सन् 2025
CIS No. 10/2015

अपीलार्थीगण (प्रतिवादीगण) :—

1. मेघसिह पुत्र वगतसिह, निवासी गुड़ामालानी
2. वेरीसाल सिह पुत्र रागसिह, निवासी गादेवी

:: बनाम ::

प्रत्यर्थीगणः—

1. संत रामकिशोर दास शिष्य संत स्व. श्री हरिदासजी, निवासी गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर
2. स्व श्री अजयसिह पुत्र मंदरूपसिह के कायम कुकामान एवं वारिसान :
   2/1 श्रीमती धर्मकंवर पत्नी स्व. अजयसिह
   2/2 भंवरसिह पुत्र स्व. अजयसिह
   2/3 रणवीरसिह पुत्र स्व. अजयसिह
   2/4 छैलसिह पुत्र स्वत्र अजयसिह
   2/5 श्रीमती तारी कंवर पुत्री स्व. अजयसिह
   2/6 श्रीमती कैलाश पुत्री स्व. अजयसिह
   2/7 श्रीमती शांता पुत्री स्व. अजयसिह
   2/8 श्रीमती मंजू पुत्री स्व. अजयसिह
   निवासी लूणवा जागीर, तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर

दीवानी अपील अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी विरूद्ध निर्णय मय डिक्री दिनांक 09.02.2015 को सुश्री शैल कुमारी सोलंकी, आर.जे.एस. अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश बाड़मेर द्वारा बमुकदमा सिविल मूल वाद सं.— 67/2008 बअनवान संत रामकिशोर दास बनाम मेघसिह व अन्य में पारित किया गया।

——

उपस्थित—

1. श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण की ओर से।
2. श्री अमृतलाल जैन अधिवक्ता एवं ब्रीफ होल्डर अधिवक्ता श्री दीक्षित कुमार, प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से।
3. प्रत्यर्थी संख्या 2/1 लगायत 2/8 — एक तरफा

:: निर्णय :: दिनांक— 28.03.2026

01. यह अपील अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, बाड़मेर द्वारा उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 09.02.2015 को पारित निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी/वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया गया है।

02. वादी संत रामकिशोर दास की ओर से एक वाद पत्र वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा का विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि गुड़ामालानी गांव में स्वर्गीय संत श्री हरिदास जी बिन्दूगादी आचार्य बालोतरा के स्वामित्व एवं आधिपत्य के गुरूद्वारा रामबाग से संबंधित संपतिया वादपत्र के पद संख्या 1 में अंकितानुसार आई हुई हैं। स्वर्गीय संत श्री हरिदास ने पद संख्या 2 में वर्णित सदस्यों के ट्रस्ट की घोषणा दिनांक 12.12.1973 को जरिए पंजीकृत न्यास विलेख के की थी। संत श्री हरिदास जी ने अपने स्वर्गवास के बाद वादी (उनके शिष्य) को ट्रस्ट में उनके स्थान पर नियुक्त किया गया तथा वादी को ट्रस्ट की सम्पतियों के संरक्षण एवं देखभाल का अधिकार प्राप्त हैं। रामबाग ट्रस्ट की सम्पतियों में से एक जीर्ण—शीर्ण अवस्था में श्री नृसिह जी महाराज का मंदिर परिसर भी हैं, जिसके नाप व पड़ौस वादपत्र के पद संख्या 5 में अंकित अनुसार हैं जो स्वर्गीय संत श्री हरिदास जी महाराज के परपंरागत स्वामित्व एवं आधिपत्य की थी। वर्तमान में वादग्रस्त मंदिर सहित रामबाग की समस्त सम्पतियां इस ट्रस्ट के अधीन हैं तथा वादी सहित अन्य ट्रस्टीगण सम्पतियों के संरक्षण के लिए उतरदायी हैं। प्रतिवादीगण को वादग्रस्त नृसिह जी महाराज के मंदिर परिसर पर किसी प्रकार का अधिकार नही हैं। वैसे भी मंदिर सम्पति का स्वामित्व देव (श्री नृसिह जी महाराज) में ही नीहित हैं तथा देवता के शाश्वत अवयस्क होने से उनके हितो का संरक्षण का दायित्व विधि एवं सरकार का भी हैं। प्रतिवादीगण का इस मंदिर परिसर पर किसी प्रकार का अधिकार नही होने के बावजूद मंदिर की जीर्ण—शीर्ण

अवस्था को देखकर प्रतिवादीगण मंदिर परिसर की खुली भूमि हड़पने पर उतारू हैं तथा इस बदनियति से प्रतिवादीगण, वादी की अनुपस्थिति में वादग्रस्त मंदिर परिसर में कब्जा करने की पिछले सप्ताह भर से धमकियां दे रहे है। वादी इस वर्ष सुमेरपुर में चातुर्मास करने जा रहा हैं। वादी को प्रतिवादीगण की धमकियों के कारण आशंका बनी हुई हैं कि वे वादी की अनुपस्थिति में वादग्रस्त नृसिह जी महाराज के मंदिर परिसर पर नाजायज रूप से काबिज हो जाएंगे तथा मंदिर ट्रस्ट की सम्पति हथिया लेगें। इसलिए वादी, प्रतिवादीगण को वाग्रस्त मंदिर परिसर पर नाजायज रूप से काबिज होने से रोकने हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हैं तथा यह प्रार्थना हैं कि वादपत्र के पद संख्या 5 में वर्णित श्री नृसिह जी महाराज के मंदिर परिसर में प्रतिवादीगण कब्जा नही करे एवं इस परिसर में वादी एवं ट्रस्ट के आधिपत्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करे। इस आशय की निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी की जावे।

03. प्रतिवादीगण ने वाद पत्र का जबाव प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम गुड़ामालानी में स्वर्गीय संत हरिदास जी बिन्दुगादी आचार्य बालोतरा के स्वामित्व एवं आधिपत्य का गुरूद्वारा रामबाग के नाम से कभी नही रहा हैं और न ही संत हरिदास जी का ग्राम गुडा में कोई गुरूद्वारा होने का प्रतिवादीगण को कोई ज्ञान हैं। महाराज संत श्री हरिदास जी आचार्य का ग्राम गुडा में रामबाग स्थान अवश्य हैं लेंकिन वह किसी ट्रस्ट के अधीन हैं या नही इसका ज्ञान प्रतिवादीगण को नही हैं। वादी को मंदिर में मात्र सेवा पूजा का अधिकार हैं और उसे किसी भी सम्पति और मंदिर की देखभाल करने का अधिकार हैं। इसके अलावा मंदिर की अन्य सम्पतियों में उसे कोई अधिकार नही हैं। ग्राम गुड़ा में संत श्री हरिदास जी का रामबाग स्थान का कोई विवरण वाद में नही दिया गया हैं। संत हरिदास जी का देहांत होने की कोई दिनांक वाद के पद संख्या 4 में नही हैं। वाद के पद संख्या 5 में वर्णित पड़ौस का भूखण्ड एवं नृसिह जही महाराज का मंदिर जीर्ण—शीर्ण अवस्था में रामबाग ट्रस्ट की सम्पति होना वर्णित किया हैं, जो सही नही हैं। वाद के पद संख्या 5 में वर्णित भूखण्ड सीमाल राजपूत जाति का भूखण्ड हैं और इस भूखण्ड में श्री राम, लक्ष्मण एवं सीताजी का मंदिर था। मंदिर के बाहर एक घुड़ सवार की प्रतिमा जोजुझार कंवरसिह सीमाल की प्रतिमाह हैं। मंदिर अब ध्वस्त हो गया हैं परन्तु भूखण्ड के चारो और राजपूत समाज द्वारा सन 1989 में चारदीवारी बनाई गई थी। वादग्रस्त सम्पति श्री नृसिह जी महाराज का मंदिर संत स्वर्गीय श्री हरिदास जी महाराज के आधिपत्य एवं स्वामित्व की सम्पति कभी नही रही हैं। ट्रस्ट

विलेख पत्र में मात्र श्री नृसिह जी का मौजुदा बिखरा हुआ अंकित हैं जो कि वास्तव में राम, लक्ष्मण का मंदिर हैं जो वादग्रस्त सम्पति ट्रस्ट की सम्पति में सम्मिलित होना नही माना जा सकता हैं। इस विलेख पत्र में वादग्रस्त भूखण्ड के संबंध में कोई विवरण दर्ज नही हैं। वादग्रस्त सम्पति कभी रामबाग की सम्पति नही रही हैं और न कभी ट्रस्ट के अधीन सम्पति रही हैं। ट्रस्टीगण का वादग्रस्त सम्पति के संबंध में न तो कोई उतरदायित्व हैं और न ही कोई अधिकार हैं। वादी संत रामकिशोर जी को हरिदास जी का शिष्य भी माने तब भी वादी को मात्र मंदिर की सेवा पूजा के अधिकार दिए गए हैं। वर्तमान वाद संत रामकिशोर वादी ने व्यक्तिगत तौर पर किया हैं और उसे ट्रस्ट की ओर से विधिक कार्यवाही करने का अधिकार भी नही हैं। वादगस्त परिसर वादी के अधिकार व आधिपत्य का कभी नही रहा हैं। वादग्रस्त परिसर सीमाल राजपूत समाज की निजी सम्पति हैं और वादग्रस्त स्थल पर सीमाल राजपूत समाज का निजी मंदिर श्री राम, लक्ष्मण एवं सीताजी का था। वादग्रस्त स्थल पर कभी नृसिह जी महाराज का मंदिर नही रहा हैं। वादग्रस्त सम्पति पर सीमाल राजपूतो का ही कब्जा व अधिकार हैं एवं वादग्रस्त सम्पति का मूल्यांकन सही नही किया गये हैं एवं न्याय शुल्क मद्रांक अपर्याप्त प्रस्तुत किया हैं। विशेष आपतियों में निवेदन किया कि वादी द्वारा वादग्रस्त सम्पति रामबाग ट्रस्ट की सम्पति होना एवं सम्पति ट्रस्ट में नीहित होना बताया हैं परन्तु वादी ने वाद स्वयं के नाम से प्रस्तुत किया हैं। वादी को ट्रस्ट की ओर से वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही होने से वाद पोषणीय नही हैं। ट्रस्ट की ओर से वाद प्रस्तुत करन का कोई पत्र एवं दिनांक 08.07.87 को ट्रस्ट की बैठक संबंधी जो विलेख पत्र प्रस्तुत किया हैं, इन दोनो विलेख पत्रों में संत श्री हरिदास जी के हस्ताक्षर भिन्न–भिन्न हैं एवं मेल नही खाते हैं। प्रतिवादीगण न तो सीमाल राजपूतों के प्रतिनिधि हैं और न ही राजपूत समाज की ओर से कोई प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। इस कारण वादी द्वारा मात्र तीन प्रतिवादीगण के विरूद्ध दायर किया गया वाद चलने योग्य नही हैं। इस वाद में सीमाल राजपूत समाज आवश्यक पक्षकार हैं। अतः वादी का वाद मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया।

04. दौराने सुनवाई अपील अपीलाण्ट की ओर से दिनांक 18.04.2017 को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि हस्तगत अपील में उतरदाता संख्या 1 संत रामकिशोरदास की मृत्यु दिनांक 27.01.2017 को हो चुकी हैं तथा जिसका कोई वारिसान नही हैं। उतरदाता संख्या 2/1 से 2/8 के विरूद्ध पूर्व में एकतरफा

कार्यवाही हो चुकी हैं। उतरदाता संख्या 1 के देहान्त के बाद उक्त अपील स्वीकार की जाने योग्य होने से हस्तगत अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.02.2015 को निरस्त किया जावें।

05. उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्षकारान की सुनी गई। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश बाड़मेर की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अपीलाण्ट प्रतिवादीगण ने दौराने बहस मुख्य रूप से तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में वादी रेस्पोडेण्ड की मृत्यु हो जाने के उपरांत चूंकि वादी रेस्पोडेण्ड ने सिविल न्यायाधीश (क.ख.) बाड़मेर के समक्ष वाद स्वयं की Personal capacity में प्रस्तुत किया हैं तथा उनका यह भी तर्क रहा हैं कि जहां तक वादी रेस्पोडेण्ट का यह तर्क कि उक्त मंदिर ट्रस्ट की सम्पति थी तथा ट्रस्ट की ओर से यह दावा प्रस्तुत किया गया था। यह स्वयं वादी रेस्पोडेण्ट की ओर से प्रस्तुत वाद से भी जाहिर नही होता हैं। उनका यह भी तर्क रहा कि एक मात्र वादी की मृत्यु हो जाने के पश्चात Right to sue Surviv नही करता हैं। इस प्रकार उनका यह तर्क रहा हैं कि वादी रेस्पोडेण्ट की ओर से प्रस्तुत दावा अबेट हो चुका हैं। इस प्रकार उनका यह तर्क रहा हैं कि अपीलाण्ट प्रतिवादीगण की अपील स्वीकार की जावे तथा वादी रेस्पोडेण्ट का दावा अबेट किया जावे और अपीलाण्ट के पक्ष में डिक्री पारित की जावें। अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये :

(i) 2012(4) CIVIL COURT CASES 197 (P & H Devinder Singh Vs Hervinder Singh & Ors.

(ii) AIR 1936 MADRAS 138 Barki Venkata Rao Chatram Charity Vs S.V. Ramaswami Ayyar And Anr. on 10 October 1935

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता वादी रेस्पोडेण्ट ने दौराने बहस मुख्य रूप से यह तर्क दिया हैं प्रस्तुत प्रकरण में हालांकि वादी की ओर से प्रस्तुत वाद जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। वह संत रामकिशोरदास की ओर से प्रस्तुत किया गया था क्योकि संबंधित मंदिर एवं ट्रस्ट की, जो रामबाग की सम्पति का हैं तथा ट्रस्ट के अधीन नियंत्रित हैं तथा वह सीमाल राजपूतो का नही हैं, का प्रस्तुत किया गया था। उनका यह भी तर्क रहा हैं कि एक मात्र इस आधार पर कि वादी संत रामकिशोरदास की ओर से प्रस्तुत वाद के Cause tutle में जरिये ट्रस्ट वाद प्रस्तुत किया जाना अंकित नही किये जाने के, मात्र इस तकनिकी आधार पर यह नही माना जा सकता हैं कि उक्त सम्पति वादी की

निजी सम्पति हो। उनका यह भी तर्क रहा हैं कि वादी संत रामकिशोरदास की ओर से जो वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया हैं, वह ट्रस्ट की सम्पति पर प्रतिवादीगण अपीलाण्ट के द्वारा जबरन कब्जा किये जाने से निवारित किये जाने के लिए प्रस्तुत किया गया था तथा वादी रेस्पोडेण्ट द्वारा स्वयं के वाद पत्र के अभिवचनों में विस्तृत रूप से तथ्य अंकित किये गये हैं तथा प्रतिवादीगण अपीलाण्ट को इस संदर्भ में जानकारी थी तथा वादी रेस्पोडेण्ट संत रामकिशोरदास की मृत्यु के पश्चात उनके कायम मुकाम जो भी ट्रस्टीगण थे की लिस्ट भी दौराने अपील पेश की गई हैं, परन्तु इसके उपरांत भी अपीलाण्ट प्रतिवादीगण ने कायम मुकाम बनाने की कोई कार्यवाही नही की गई हैं। इसप्रकार उनका यह तर्क रहा हैं कि क्योकि विहित समयावधि में कायम मुकाम की सूचि रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता की ओर से पेश कर दी गई परन्तु इसके बावजुद भी अपीलाण्ट प्रतिवादीगण द्वारा उक्त ट्रस्टीगण को इस न्यायालय के समक्ष कायम मुकाम बनाने की कोई कार्यवाही नही की गई हैं। इस प्रकार उनका यह तर्क रहा हैं कि प्रतिवादीगण अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अबेट की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.02.2015 को निरस्त किया जावें। अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये :—

(i) AIR 1984 ALLAHABAD 55, Shiva Nand and another vs Shri Shankerji Maharaj Birajman Mandir, and other

(ii) AIR 1949 MADRAS 721, Sankaranarayanan Iyer vs Shri Poovananathaswami Temple Koilpatti through Executive Officer and Ors.

(iii) AIR 1956 SUPREME COURT 382, Vikrama Das Mahant vs Daulat Ram Asthana and others

06. मैने उभय पक्षों की बहस सुनी अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्ययन का मार्ग दर्शन प्राप्त किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता हैं कि दिनांक 14.07.2004 को वादी संत रामकिशोर दास शिष्य संत स्व. हरिदास जी की ओर से अपीलाण्ट मेघसिह, वेरीसालसिह तथा एक अन्य प्रतिवादी अजयसिह के विरूद्ध दावा बाबत निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था जिस वाद पत्र के अभिवचनों के अवलोकन एवं मनन से यह जाहिर होता हैं कि उक्त वाद पत्र के अभिवचनानुसार वादी संत रामकिशोर दास के द्वारा यह अभिवचन किया गया हैं कि गुड़ामालानी

गांव में स्वर्गीय संत श्री हरिदास जी बिन्दूगादी आचार्य बालोतरा के स्वामित्व एवं आधिपत्य के गुरूद्वारा रामबाग से संबंध संपतिया :

1. मंदिर श्री रूघनाथ जी महाराज का व मंदिर की खुली पड़त भूमि मय बेरी एवं गुडामालानी बाजार में स्थित दुकान
2. मंदिर श्री नृसिह जी महाराज का बिखरा हुआ
3. मंदिर डोली की खातेदारी की गुडामालानी में स्थित भूमि

वादी संत रामकिशोरदास ने अपने वाद पत्र में आगे यह भी कथन किया हैं कि स्वर्गीय संत श्री हरिदास ने अपने जीवनकाल में उक्त सम्पतियों के संबंध में ट्रस्ट की स्थापना कर ट्रस्ट के निम्न सदस्य नियुक्त किये :—

1. संत श्री हरीदास जी स्वयं
2. श्री रामधन पुत्र श्री बस्तीराम अग्रवाल
3. श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री रामप्रसाद अग्रवाल
4. श्री मदनलाल पुत्र श्री भूरचन्द अग्रवाल
5. श्री रामकिशोर पुत्र श्री मांगीलाल अग्रवाल
6. श्री गोविन्दराम पुत्र श्री हंजारीमल अग्रवाल

वादी संत रामकिशोरदास ने आगे वाद पत्र में यह भी अभिवचन किया कि रामबाग की उक्त सम्पतियों के संबंध में पद संख्या 2 में वर्णित सदस्यों के ट्रस्ट की घोषणा वादी के गुरू श्री हरीदास जी महाराज ने दिनांक 12.12.1973 को जरिए पंजीकृत न्यास विलेख के की थी। वादी के द्वारा न्यास विलेख की प्रति भी वादपत्र के साथ संलग्न की थी। वादी के द्वारा स्वयं के वाद पत्र में आगे यह भी अभिवचन किया हैं कि दिनांक 08.06.1987 को रामबाग ट्रस्ट के सदस्यों की बैठक में श्री गोविन्दराम अग्रवाल के स्वर्गवास होने से अन्य ट्रस्टी नही लेना तय किया गया तथा संत श्री हरिदास जी ने अपने स्वर्गवास के बाद वादी (उनके शिष्य) को ट्रस्ट में उनके स्थान पर नियुक्त किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि वादी ठाकुर जी की सेवा मंदिर की देखभाल साधु दृष्टि से नुकूल करेगा तथा मंदिर की सम्पति को बेचने का उसे अधिकार नही होगा और अपने कुटुम्ब में खर्च करने का भी अधिकार नही होगा तथा यदि वह ऐसा खर्च करेगा और उक्त शर्तो के विरूद्ध चलेगा तो ट्रस्टीगण को उसे रोकने का अधिकार होगा। तत्पश्चात संत हरिदास जी महाराज का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात रामबाग की सम्पतिया ट्रस्ट में सम्मिलित हैं तथा वादी को उक्त सम्पतियों के संरक्षण एवं देखभाल का अधिकार हैं। वादी के द्वारा वादपत्र में यह भी अभिवचन किया गया हैं कि वादी ट्रस्ट के ट्रस्टी के अतिरिक्त

संत स्वर्गीय श्री हरिदास जी के उतराधिकारी साधु हैं इसलिए ट्रस्ट सम्पतियों केदेखभाल का वादी का दायित्व सबसे ज्यादा हैं। वादी के द्वारा वादपत्र में आगे यह भी अभिवचन किया गया हैं कि प्रतिवादीगण अपीलाण्ट को वादग्रस्त श्री नृसिह जी महाराज का मंदिर परिसर पर किसी प्रकार का अधिकार नही हैं तथा मंदिर सम्पति का स्वामित्व देव (श्री नृसिह जी महाराज) में ही निहित हैं तथा देवता के शाश्वत अवयस्क होने से उनके हितो का दायित्व विधि एवं सरकार का भी हैं। वादी ने वादपत्र में यह भी अंकन किया हैं कि प्रतिवादीगण का इस मंदिर परिसर पर किसी प्रकार का अधिकार नही होने के बावजूद मंदिर की जीर्ण– शीर्ण अवस्था को देखकर प्रतिवादीगण मंदिर परिसर की खुली भूमि हड़पने पर उतारू हैं तथा इस बदनियति से प्रतिवादीगण ने वादी की अनुपस्थिति में वादग्रस्त मंदिर परिसर में कब्जा करने की पिछले सप्ताह भर से धमकिये दे रहे हैं तथा ट्रस्ट की सम्पति को जबरन हथियाने पर उतारू हैं इसी कारण प्रतिवादीगण अपीलाण्ट को रोकने के लिए वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का वादी अधिकारी हैं। इस प्रकार जहां तक प्रस्तुत प्रकरण में अपीलाण्ट प्रतिवादी का यह तर्क कि वादी संत रामकिशोर दास के द्वारा स्वयं की व्यक्तिगत हैसियत से दावा प्रस्तुत किया गया था, इस प्रकार चूंकि संत रामकिशोरदास की मृत्यु हो चुकी हैं इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद एक मात्र वादी की मृत्यु हो जाने के कारण वाद लाने का अधिकार Surviv नही करने से वादी का वाद अबेट हो गया है इसलिए अपील स्वीकार की जावे परन्तु मै अपीलाण्ट प्रतिवादीगण के उक्त तर्क से सहमति रखता हूॅ क्योकि इस न्यायालय को वादी संत रामकिशोरदास की ओर से प्रस्तुत वादपत्र के सम्पूर्ण अभिवचनों को देखना अत्यन्त आवश्यक हैं तथा उक्त अवलोकन एवं मनन से यह स्पष्ट रूप से जाहिर होता हैं कि वादी संत रामकिशोरदास की मृत्यु हो चुकी हैं, के द्वारा उक्त वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया था तथा संत रामकिशोर दास की ओर से प्रस्तुत वादपत्र के अभिवचनों से स्पष्ट रूप से जाहिर होता हैं कि विवादित सम्पतियां ट्रस्ट की सम्पतियां थी तथा मात्र एक तकनीकी कारण से कि वादी रेस्पोडेण्ट संत रामकिशोरदास के द्वारा वाद अधीनस्थ न्यायालय बाड़मेर के समक्ष वाद स्वयं के नाम से प्रस्तुत किया गया, न कि ट्रस्ट की ओर से, अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत उक्त आक्षेप को स्वीकार किया जाना मैं न्यायोचित नही समझता हूॅ।

07. साथ ही प्रस्तुत प्रकरण में वादी संत रामकिशोर दास की ओर से प्रस्तुत वादपत्र का जो जवाब दावा अपीलाण्ट प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत किया

गया हैं कि ग्राम गुड़ामालानी में स्वर्गीय संत हरिदास जी बिन्दुगादी आचार्य बालोतरा के स्वामित्व एवं आधिपत्य का गुरूद्वारा रामबाग के नाम से कभी नही रहा हैं और न ही संत हरिदास जी का ग्राम गुडा में कोई गुरूद्वारा होने का प्रतिवादीगण को कोई ज्ञान हैं। महाराज संत श्री हरिदास जी आचार्य का ग्राम गुडा में रामबाग स्थान अवश्य हैं लेंकिन वह किसी ट्रस्ट के अधीन हैं या नही इसका ज्ञान प्रतिवादीगण को नही हैं। वादी को मंदिर में मात्र सेवा पूजा का अधिकार हैं और उसे किसी भी सम्पति और मंदिर की देखभाल करने का अधिकार हैं। इसके अलावा मंदिर की अन्य सम्पतियों में उसे कोई अधिकार नही हैं। ग्राम गुड़ा में संत श्री हरिदास जी का रामबाग स्थान का कोई विवरण वाद में नही दिया गया हैं। संत हरिदास जी का देहांत होने की कोई दिनांक वाद के पद संख्या 4 में नही हैं। वाद के पद संख्या 5 में वर्णित पड़ौस का भूखण्ड एवं नृसिह जी महाराज का मंदिर जीर्ण– शीर्ण अवस्था में रामबाग ट्रस्ट की सम्पति होना वर्णित किया हैं, जो सही नही हैं। वाद के पद संख्या 5 में वर्णित भूखण्ड सीमाल राजपूत जाति का भूखण्ड हैं और इस भूखण्ड में श्री राम, लक्ष्मण एवं सीताजी का मंदिर था। मंदिर के बाहर एक घुड़ सवार की प्रतिमा जोजुझार कंवरसिह सीमाल की प्रतिमाह हैं। मंदिर अब ध्वस्त हो गया हैं परन्तु भूखण्ड के चारो और राजपूत समाज द्वारा सन 1989 में चारदीवारी बनाई गई थी। वादग्रस्त सम्पति श्री नृसिह जी महाराज का मंदिर संत स्वर्गीय श्री हरिदास जी महाराज के आधिपत्य एवं स्वामित्व की सम्पति कभी नही रही हैं। ट्रस्ट विलेख पत्र में मात्र श्री नृसिह जी का मौजुदा बिखरा हुआ अंकित हैं जो कि वास्तव में राम, लक्ष्मण का मंदिर हैं जो वादग्रस्त सम्पति ट्रस्ट की सम्पति में सम्मिलित होना नही माना जा सकता हैं। इस विलेख पत्र में वादग्रस्त भूखण्ड के संबंध में कोई विवरण दर्ज नही हैं। वादग्रस्त सम्पति कभी रामबाग की सम्पति नही रही हैं और न कभी ट्रस्ट के अधीन सम्पति रही हैं। ट्रस्टीगण का वादग्रस्त सम्पति के संबंध में न तो कोई उतरदायित्व हैं और न ही कोई अधिकार हैं। वादी संत रामकिशोर जी को हरिदास जी का शिष्य भी माने तब भी वादी को मात्र मंदिर की सेवा पूजा के अधिकार दिए गए हैं। वर्तमान वाद संत रामकिशोर वादी ने व्यक्तिगत तौर पर किया हैं और उसे ट्रस्ट की ओर से विधिक कार्यवाही करने का अधिकार भी नही हैं। वादगस्त परिसर वादी के अधिकार व आधिपत्य का कभी नही रहा हैं। वादग्रस्त परिसर सीमाल राजपूत समाज की निजी सम्पति हैं और वादग्रस्त स्थल पर सीमाल राजपूत समाज का निजी मंदिर श्री राम, लक्ष्मण एवं सीताजी का था। वादग्रस्त स्थल पर कभी नृसिह जी महाराज का मंदिर

नही रहा हैं। वादग्रस्त सम्पति पर सीमाल राजपूतो का ही कब्जा व अधिकार हैं एवं वादग्रस्त सम्पति का मूल्यांकन सही नही किया गयेा हैं एवं न्याय शुल्क मद्रांक अपर्याप्त प्रस्तुत किया हैं। विशेष आपतियों में निवेदन किया कि वादी द्वारा वादग्रस्त सम्पति रामबाग ट्रस्ट की सम्पति होना एवं सम्पति ट्रस्ट में नीहित होना बताया हैं परन्तु वादी ने वाद स्वयं के नाम से प्रस्तुत किया हैं। वादी को ट्रस्ट की ओर से वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही होने से वाद पोषणीय नही हैं। ट्रस्ट की ओर से वाद प्रस्तुत करने का कोई पत्र एवं दिनांक 08.07.87 को ट्रस्ट की बैठक संबंधी जो विलेख पत्र प्रस्तुत किया हैं, इन दोनो विलेख पत्रों में संत श्री हरिदास जी के हस्ताक्षर भिन्न–भिन्न हैं एवं मेल नही खाते हैं। प्रतिवादीगण न तो सीमाल राजपूतों के प्रतिनिधि हैं और न ही राजपूत समाज की ओर से कोई प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। इस कारण वादी द्वारा मात्र तीन प्रतिवादीगण के विरूद्ध दायर किया गया वाद चलने योग्य नही हैं। इस वाद में सीमाल राजपूत समाज आवश्यक पक्षकार हैं। अतः वादी का वाद मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया।

08. इस संबंध में सर्वप्रथम वादी रेस्पोडेण्ट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत AIR 1949 MADRAS 721 (Supra) में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया हैं कि :–

" in my opinion, it is enough for this purpose to show that the plaintiff is not claiming the property in suit as his own property but as the property of the Math or the idols installed in the Math and that he being in the actual possession of the Math is as competent to maintain the suit as any person who may sue as the next friend of the idols or the juridical person known as the Math."

प्रस्तुत प्रकरण में भी वादी संत रामकिशोरदास द्वारा ट्रस्ट के आधिपत्य की सम्पति में प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करने के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा चाही हैं, न कि स्वयं के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि पर स्वयं का स्वत्व होना कहते हैं।

09. वादी एवं प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत उक्त अभिवचनों पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो साक्ष्य उभय पक्षों की लेखबद्ध की गई, उस में सर्वप्रथम गवाह पी.डब्ल्यू. 1 संत रामकिशोरदास ने स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादीगण अपीलाण्ट की ओर से की गई जिरह में गवाह ने इस सुझाव को सही होना कहा हैं कि उन्होनें ट्रस्ट के नाम से दावा नही किया हैं

बल्कि व्यक्तिगत नाम से दावा किया हैं। इस संदर्भ में अपीलाण्ट प्रतिवादीगण का मुख्य रूप से यही तर्क रहा था कि वादी रामकिशोरदास द्वारा स्वयं के व्यक्तिगत नाम से दावा किया गया हैं। इसलिए एक मात्र वादी की मृत्यु हो जाने के कारण वाद अबेट हो गया, इसलिए उनकी अपील स्वीकार की जावें। परन्तु मैरे विनम्र मत में गवाह पी.डब्ल्यू. 1 संत रामकिशोरदास के द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में ट्रस्ट डीड प्रदर्श 1 तथा कार्यवाही रजिस्टर की प्रति प्रदर्श 2 प्रस्तुत की गयी हैं, उसके अवलोकन एवं मनन से स्पष्ट रूप से यह जाहिर होता हैं कि उक्त ट्रस्ट डीड दिनांक 12.12.1973 को रजिस्टर्ड हुई हैं तथा जिसका अवलोकन एवं मनन करने से जाहिर होता हैं कि जिस में रामबाग की समस्त सम्पतियों का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया हैं तथा उस ट्रस्ट डीड में मंदिर नृसिहदास का विवरण दिया हुआ हैं। इस प्रकार वादी संत रामकिशोरदास की ओर से जो दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई हैं उससे स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता हैं कि सबंधित वादग्रस्त सम्पति ट्रस्ट की सम्पति थी तथा मात्र इस तकनिकी आधार पर कि संत रामकिशोरदास द्वारा स्वयं की व्यक्तिगत हैसियत से दावा स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया हैं, इससे उनकी मृत्यु हो जाने पर वादी संत रामकिशोरदास की ओर से प्रस्तुत दावे को अबेट हुआ हुआ नही माना जा सकता हैं। साथ ही अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश बाड़मेर की पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता हैं कि स्वयं प्रतिवादीगण अपीलाण्ट ने विद्वान अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश बाडमेर के न्यायालय के समक्ष इस तथ्य का भी कोई जवाब नही दिया हैं कि रामबाग मंदिर ट्रस्ट के अलावा श्री नृसिह मंदिर पर किस का अधिकार हैं तथा उन्होने इसका जवाब देना भी उचित नही समझा हैं। विद्वान सिविल न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता हैं कि प्रतिवादीगण अपीलाण्ट ने यह भी कथन किया हैं कि वे मात्र गांव वालो के कहने के आधार पर कह रहे हैं या किसके कहने पर कह रहे हैं, वे उनका नाम नही बता सकते। जिससे भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता हैं कि उक्त विवादित सम्पति ट्रस्ट की हैं तथा जो ट्रस्ट रामबाग सम्पति का हैं एवं ट्रस्ट के अधीन नियंत्रित हैं तथा सीमाल राजपूतों का नही हैं। प्रस्तुत प्रकरण में वादी संत रामकिशोर दास चूंकि संबंधित मंदिर एवं ट्रस्ट के मुख्य व्यक्ति थे इसलिए उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया हैं परन्तु वाद ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत नही किया गया हैं। एक मात्र इस आधार पर वादी संतरामकिशोर दास की ओर से प्रस्तुत वाद को अबेट नही किया जा सकता हैं। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेण्ट प्रतिवादी, वादी संत रामकिशोरदास की ओर से उनके

अधिवक्ता ने कायम मुकाम ट्रस्टीगण की लिस्ट भी प्रस्तुत की हैं परन्तु इसके उपरांत भी अपीलाण्ट प्रतिवादीगण द्वारा उक्त ट्रस्टीयों को इस न्यायालय के समक्ष कायम मुकाम बनाने की कोई कार्यवाही अमल में नही लायी गयी हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत चूंकि विहित समयावधि में कायम मुकाम की सूचि पेश की गई हैं, इसके बावजूद भी अपीलाण्ट प्रतिवादीगण द्वारा उक्त ट्रस्टीयों को इस न्यायालय के समक्ष कायम मुकाम बनाने की कोई कार्यवाही अमल में नही लायी गयी हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अबेट किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

10. अतः उपरोक्त समग्र विवेचन से विद्वान अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश बाड़मेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.02.2015 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही हैं तथा पुष्ठ किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

11. परिणामस्वरूप अपीलार्थीगण / प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत यह दिवानी अपील विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी खारिज की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश बाड़मेर द्वारा दीवानी मूल प्रकरण संख्या 67 / 2008 संत रामकिकिशोरदास बनाम मेघसिह वगैरा में पारित आलौच्य निर्णय व डिक्री दिनांक 09.02.2015 की पुष्टि की जाती हैं तथा आदेश दिया जाता हैं कि वादपत्र के पद संख्या 5 में वर्णित श्री नृसिंह जी महाराज के मंदिर परिसर में ट्रस्ट के आधिपत्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करें। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा उपरोक्तानुसार तैयार किया जावे।

12. निर्णय की प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख, अधीनस्थ न्यायालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु अविलम्ब प्रेषित किया जावे।

(अजिताभ आचार्य)
जिला न्यायाधीश, बाड़मेर
जिला—बाड़मेर

13. निर्णय आज दिनांक 28.03.2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया एवं मेरे द्वारा हस्ताक्षरित किया गया।

(अजिताभ आचार्य)
जिला न्यायाधीश, बाड़मेर
जिला—बाड़मेर

VINITA DHANWANI
Steno Gr. III "Authenticate document" Digitally signed by VINITA DHANWANI
Date: 2026.03.30 16:48:20 +0530